जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 18.11.2023**

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा विद्युत विभाग की टीम से अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा विद्युत विभाग की टीम से अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.11.2023 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र राजकिशोर सिंह जेई विद्युत उपकेन्द्र मालैण्डी गढीपुख्ता जनपद शामली की टीम के साथ प्रदीप पुत्र कंवरपाल, आशु पुत्र प्रदीप, लाबी पुत्र सुकरमपाल निवासीगण ग्राम पुरमाफी व 01 अन्य व्यक्ति द्वारा मारपीट, गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.आशु पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.शुभम उर्फ लवी पुत्र शुक्रमपाल निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.का0 नितिन कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.हो0गा0 दिनेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 13.10.2023 को वादी श्री महफुज पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम गांव खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली के घर से कीमती सामान,रुपये व दिनांक 18.11.2023 को वादिया श्रीमती सुमन पत्नी स्व0 राजवीर निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली के घर से अज्ञात चोरों द्वारा कीमती सामान चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं का अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में शामिल 01 शातिर चोर को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अहसान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 578/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 513/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 427/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 535/2018 धारा 394/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 555/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 591/2015 धारा 380 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक जोडी पायल सफेद धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 150/- रु0 नकद (सम्बन्धित मु0अ0स0 513/23 धारा 380/411 भादवि)

2.एक जोडी पाजेब सफेद धातु, 02 जोडी चुकटी सफेद धातु, 01 अंगूठी पीली धातु (सम्बन्धित मु0अ0स0 578/2023 धारा 380/411 भादवि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राधेश्याम भारती थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 तनुज कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 18.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.प्रवीण पुत्र माहीचन्द निवासी ग्राम टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.वकील पुत्र न्याजा निवासी ग्राम भडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.जुल्फी पुत्र मेहरु निवासी ग्राम भडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.जनेश्वर उर्फ टिन्डी पुत्र बिरम सिंह निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा न्यायालय परिसर कैराना जनपद शामली की सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया औचक निरीक्षण:-</u>

आज दिनांक 18.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में जनपद न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री ओपी सिंह द्वारा थाना कैराना पुलिस व डॉग स्क्वायड को साथ लेकर न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग करते हुए न्यायालय सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के क्रम में अवैध हथियार के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 2011 में अभियुक्त तेज्जो उर्फ तेजवीर पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 232/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कांधला पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.11.2023 को माननीय न्यायालय एफटीसी-3 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त तेज्जो उर्फ तेजवीर उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में 09 माह के कारावास की सजा व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.तेज्जो उर्फ तेजवीर पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के क्रम में लूट करने के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी कारावास की सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 2015 में अभियुक्तगण 1.कृष्ण पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम मुठीबाकरपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर व 2. सुन्दर पुत्र जुगल निवासी ग्राम मवोकरा थाना जेवर जनपद गौतमबुद्दनगर द्वारा थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादी से लूट करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 11/57/2015 धारा 392 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त कृष्ण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में 04 वर्ष 07 माह 26 दिन तथा अभियुक्त सुन्दर उपरोक्त को 08 वर्ष 06 माह 10 दिन की सजा व 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.कृष्ण पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम मुठीबाकरपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

2.सुन्दर पुत्र जुगल निवासी ग्राम मवोकरा थाना जेवर जनपद गौतमबुद्दनगर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI